

भारत गजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 1972/चैत्र 29, 1894

No. 82]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 1972/CHAITRA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th April, 1972.

SUBJECT:—Supply of imported steel for export production during April 1972–March, 1973

No. 56-ITC(PN)/72.—A scheme has been formulated for the supply of imported steel to Registered Exporters, to enable them to execute export orders held by them, for which the requisite quantum of steel may not be available indigenously. The necessary supplies of imported steel would be made available through the Hindustan Steel Ltd., at the J.P.C. or the ruling H.S.L. price where the J.P.C. price is not available, plus 2 per cent thereof. The categories of steel covered by the scheme are given in the annexure to this Public Notice.

2. The scheme will apply to the export products requiring steel as a raw materials and which fall in the Engineering Group mentioned in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. II) for the period April 1972–March 1973. Registered Exporters intending to avail of the facility of allocation of steel under this scheme should get their export contracts registered with the Engineering Export Promotion Council, Calcutta or its regional offices at Delhi, Madras and Bombay.

3. Applications for allocation of steel should be made to the licensing authorities concerned supported by a copy of the export order for which imported steel is required through the Engineering Export Promotion Council. Each applicant will approach the Engineering Export Promotion Council with full details of his requirements (including requirements of non-steel items) related to his export order. The Engineering Export Promotion Council will register only those contracts which are supported by irrevocable Letters of Credit. The Chief Controller of Imports and Exports may, however, waive the requirement of Letter of Credit on merits in individual cases recommended by the Engineering Export Promotion Council. The Engineering Export Promotion Council will assess the requirements of steel for the export contract in question in consultation with the D.G.T.D. (Export Promotion Cell) and a certificate to this effect countersigned by D.G.T.D. (Export Promotion Cell) would be prepared in duplicate. The certificate of assessment will indicate the category, size and section of steel, the quantity and the estimated c.i.f. value, covering the total requirements of steel for the execution of the export contract in question. The certificate will also indicate the break-up of the total requirements of the applicant, quarter-wise, for the year 1972-73, and in respect of the requirements pertaining to each quarter, it will indicate the quantity of steel to be allowed for import and the quantity to be obtained from indigeneous sources. The original copy of the certificate will be attached to the application which will be forwarded to the licensing authority. The duplicate copy will be sent by the Engineering Export Promotion Council to the Iron and Steel Controller, Calcutta.

4. Applications should be made in the prescribed form and manner for registered exporters accompanied with a treasury challan for Rs. 50 and the documents as indicated above.

5. The licensing authority will issue a release order on the Hindustan Steel Limited in favour of the applicant covering the total requirements in respect of the first quarterly period (i.e. April—June 1972) as indicated in the aforesaid certificate of assessment. The release order will indicate the specification of steel, its quantity and the estimated c.i.f. value. The limiting factor in the release order will, however, be quantity only. The release orders covering the requirements for subsequent quarterly periods i.e., July—September 1972, October—December 1972 and January—March 1973 as indicated in the certificate of assessment will be issued to the extent these requirements cannot be met by indigeneous sources, as recommended by the Iron & Steel Controller, Calcutta, on the basis of the scrutiny of the duplicate copy of the certificate of assessment endorsed to him by the Engineering Export Promotion Council. The Iron and Steel Controller will send his recommendation to this effect direct to the licensing authority concerned within one month of receipt of the duplicate copy of the certificate of assessment from the E.E.P.C. The licensing authorities and their jurisdiction are indicated in Section III, Annexure VIII of Volume II of the Red Book.

6. The applicants will be required to give a bank guarantee to the licensing authority for a value equal to 50 per cent of the value of imported steel for which the release order is issued, undertaking to export goods of the f.o.b. value for which the contract has been registered by the Engineering Export Promotion Council. The period for the execution of the export contract as indicated in the bank guarantee will be the same as indicated in the contract. Alternatively, the exports may also give a legal undertaking (without bank guarantee) to the effect that if they fail to export the goods in accordance with the programme of export, their products equal to twice the quantity of the unfulfilled export obligation will have to be handed over as a penalty to the Hindustan Steel Limited or any other public sector agency nominated by Government for export at such prices as it is able to obtain abroad, and for payment of liquidated damages to the agency as provided in paragraph 145(5) (b) of the I.T.C. Hand book of Rules and Procedure, 1972-73.

7. Registered Exporters, who wish to avail of the facility of allocation of steel under this Public Notice will be entitled to apply for import replenishment licences (or release orders in terms of the import policy for Registered Exporters) only for the remaining permissible items, other than steel, and only for the balance entitlement thereof. In other words, further replenishment of steel would no longer be available to Registered Exporters availing of this Scheme. For the other items, applicants would be permitted to apply to the licensing authorities concerned in

accordance with the procedure as laid down in the Red Book (Vol. II) for 1972-73. They may also avail of the facility to obtain advance licences in respect of the remaining items and for the remaining import replenishment other than steel. The import replenishment entitlement in such cases will be suitably adjusted, having regard to the value for which the steel has been allocated to the applicant under this Public Notice with due regard to the import requirement of non-steel items considered essential for the due execution of the export contract. The extent to which the value will be adjusted will be decided in each case in consultation with the technical authorities concerned.

8. In regard to draw back on account of export contracts fulfilled by utilising steel imported under this scheme, in whole or in part, the entitlement will be calculated as if the entire quantity of steel used is of indigenous origin. The 2 per cent surcharge on imported steel fixed under this scheme will not be taken into account in determining the draw back entitlement.

ANNEXURE

1. Mild Steel Billets.
2. Mild Steel Wire rods.
3. High Carbon wire rods.
4. Bars and rods.
5. Hot rolled Strip/Skelp.
6. Mild Steel angles.
7. Other Structural vtz., Beams, Channels etc.
8. Mild Steel plates.
9. Hot rolled/cold rolled sheets.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विवशी व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1972

विषय—1972-73 के दौरान निर्यात उत्पाद के लिए आयातित इस्पात का संभरण ।

संख्या 56—आई०टी०सी० (पी०एन०)/72.—पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयातित इस्पात के संभरण के लिए एक योजना का सूत्रीकरण किया गया है जिससे कि वे रोके हुए उन निर्यात आदेशों को निष्पादन करने में समर्थ हों जिसके लिए इस्पात की आवश्यक मात्रा देशीय रूप में उपलब्ध नहीं हो सकती । हिन्दुस्तान इस्पात लि० के माध्यम से जे पी सी कीमत पर अथवा जहाँ जे पी सी कीमत उपलब्ध नहीं है वहाँ इसकी 2 प्रतिशत को जोड़ कर प्रचलित एच एस एल कीमत पर आयातित इस्पात की आवश्यक संभरण को उपलब्ध करवाया जा सकेगा । इस योजना के अन्तर्गत आने वाली इस्पात की श्रेणियाँ प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध में दी गई हैं ।

2. यह योजना उन निर्यात उत्पादों के लिए लागू होगी जिन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्पात चाहिए और जो अप्रैल 1972-मार्च, 1973 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नोति (रेडबुक वा०-2) में निहित अभियांत्रिक वर्ग के अन्तर्गत आती हैं । ऐसे पंजीकृत निर्यातकों जो इस योजना के अन्तर्गत इस्पात के बंटन की सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपनी निर्यात संविदाओं को अभियांत्रिक निर्यात संवर्धन परिपद्, कलकत्ता अथवा इसके दिल्ली, मद्रास तथा बम्बई में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के पास पंजीकृत करवा दें ।

3. इस्पात के बंटन के लिए आवेदन पत्र उस निर्यात आदेश की एक प्रति के साथ जिसके लिए आयातित इस्पात की आवश्यकता है, निर्यात संवर्धन परिपद के माध्यम से सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारियों को भेज जाने चाहिए । प्रत्येक आवेदक अपने निर्यात आदेश से सम्बन्धित आवश्यकताओं (जिसमें गैर-इस्पात मदों की आवश्यकताएं भी शामिल हैं) के पूरे व्यूरे के साथ अभियान्त्रिक निर्यात संवर्धन को आवेदन करेगा । अभियांत्रिक निर्यात संवर्धन परिपद् केवल उन संविदाओं को पंजीकृत करेगी जो अपरिवर्तनीय साख-पत्र के साथ भेजी गई हैं । फिर भी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, अभियान्त्रिक निर्यात संवर्धन द्वारा सिफारिश किए गए अलग अलग मामलों के गुणों पर विचार कर के साख पत्र भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है । अभियांत्रिक निर्यात संवर्धन परिपद, महानिदेशक तकनीकी विकास (निर्यात संवर्धन सेल) के साथ परामर्श कर के विषयाधीन निर्यात संविदाओं के लिए इस्पात की आवश्यकताओं को निर्धारित करेगी और इसके लिए महानिदेशक तकनीकी विकास (निर्यात संवर्धन परिपद्) द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा । निर्धारण प्रमाण-पत्र विषयाधीन निर्यात संविदा के चालू करने के लिए इस्पात की कुल आवश्यकताओं को शामिल करते हुए इस्पात की श्रेणी, इस्पात का सेक्शन तथा साइज, इसकी मात्रा और अनुमानित लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का संकेत करेगा । प्रमाण-पत्र, 1971-72 वर्ष के लिए आवेदक को त्रैमासिक-वार कुल आवश्यकताओं के ब्यौरे का भी संकेत करेगा और प्रत्येक त्रैमासिक से सम्बन्धित आवश्यकताओं

के सम्बन्ध में, यह आयात के लिए स्वीकृत इस्पात तथा देशी पत्रों में वे ग्राप्त हो जाने वाले इस्पात की मात्रा का संकेत करेगा। प्रमाण-पत्र को मूल प्रति, लाइसेंस प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। अभियांत्रिक निर्यात मंत्रालय परिषद् द्वारा अनुलिपि प्रति, लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता को भेजी जाएगी।

4. आवेदन पत्र पंजीकृत निर्यातकों के लिए विधि अनुसार निर्धारित प्रपत्र में और 50 रुपये के राजकोष चालान और उपर उल्लिखित दस्तावेजों के साथ किए जाने चाहिए।

5. लाइसेंस प्राधिकारी आवेदक के नाम में हिन्दुस्तान इस्पात लि० के लिए पहली त्रैमासिक अवधि (अर्थात् अप्रैल-जून, 1972) से सम्बन्धित कुल आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए उपर्युक्त निर्धारण प्रमाण पत्र में यथा संकेतित एक रिहाई आदेश जारी करेगा। रिहाई आदेश इस्पात के विशिष्ट-करण का, इसकी मात्रा का और लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का संकेत करेगा। रिहाई आदेश में केवल मात्रा ही सीमाकारक गुणक होगी। उत्तरवर्ती त्रैमासिक अवधियों जैसे जुलाई-सितम्बर, 1972, अक्टूबर-दिसम्बर, 1972 तथा जनवरी-मार्च, 1973 के लिए आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए जैसा कि उपर्युक्त निर्धारण प्रमाण पत्र में संकेतित है, रिहाई आदेश तब जारी किए जाएंगे जब लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता निर्धारण प्रमाणपत्र की अनुलिपि प्रति की समीक्षा के आधार पर जो अभियांत्रिक निर्यात मंत्रालय परिषद् द्वारा पृष्ठांकित की गई थी सिफारिश करदे कि ये आवश्यकताएं देशी स्त्रोतों से पूरी नहीं की जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक अपनी सिफारिश को अभियांत्रिक निर्यात परिषद् द्वारा निर्धारण प्रमाण पत्र की अनुलिपि प्रति की पावती के एक मास के भीतर ही सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को भेज देगा। लाइसेंस प्राधिकारियों और उनके क्षेत्राधिकार का रेडबुक के बा० 2 के अनुबन्ध-8, खंड-33 में निर्दिष्ट कर दिया गया है।

6. अभियांत्रिक निर्यात मंत्रालय परिषद् द्वारा जिसके लिए संविदा पंजीकृत की गई है, उसके जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के माल का निर्यात करने के लिए वचन देते हुए आवेदकों को लाइसेंस प्राधिकारियों को उस आयातित इस्पात के मूल्य को 50% मूल्य के बराबर एक बैंक गारंटी देने की जरूरत होगी जिसके लिए रिहाई आदेश जारी किया जाता है। बैंक गारंटी में यथा संकेतित निर्यात संविदा के निष्पादन के लिए अवधि ठीक वैसी ही होगी जैसी संविदा में संकेतित है। विकल्पतः निर्यातक इस सम्बन्ध में एक कानूनी वचन बद्धता पत्र (बिना बैंक गारंटी के) दे सकते हैं कि यदि वे निर्यात के कार्यक्रम के अनुसार माल निर्यात करने में असफल हो जाते हैं तो बिना उपयोग किए गए निर्यात आभार की दुगुनी मात्रा के बराबर उनके उत्पादक को हर्जाना के रूप में हिन्दुस्तान स्टील को या किसी अन्य सरकारी क्षेत्र अभिकरण को निर्यात के लिए, सौंप दिया जाएगा उस मूल्य पर जो कि वह विदेशों में प्राप्त कर सके तथा अभिकरण को आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि-33 बुक 1972-73 के परा 145 (5) (बी) के तदनुसार हर्जाना देना होगा।

7. वे पंजीकृत निर्यातक जो इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत इस्पात के बंटन की सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं वे इस्पात से भिन्न केवल शेष अनुमेय मर्दों और केवल उसकी (शेष) हकदारी के लिए आयात संपूर्ति लाइसेंसों (या पंजीकृत निर्यातक नीति के अनुसार रिहाई आवेदनों) के लिए आवेदन करने के अधिकारी होंगे। दूसरे शब्दों में, इस योजना का लाभ उठाने वाले पंजीकृत निर्यातकों को इस्पात संपूर्ति का लाभ भविष्य में बहुत दिनों तक उलब्ध नहीं होगा। दूसरे रूप में, आवेदकों को 1972-73 के लिए रेड बुक (बा० 2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों के पास आवेदन करना होगा। वे शेष मर्दों तथा इस्पात से भिन्न शेष आयात संपूर्ति के सम्बन्ध में अधिम लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों में आयात संपूर्ति हकदारी को गैर-

इस्पात मदों के आयात की जरूरत को ध्यान में रखकर जो निर्यात संविदा के आवश्यक निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाएगा, इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत आरक्षक को जितने मूल्य के लिए इस्पात बंटित किया गया है, उसे मदेनजर रखते हुए उचित रूप से समायोजित किया जाएगा, जिस सीमा मूल्य का समायोजन किया जाएगा, प्रत्येक मामले में इसका निर्णय संबंध तकनीकी प्राधिकारियों के परामर्श से किया जाएगा ।

8. पूर्णरूप से या आंशिक रूप से इस योजना के अन्तर्गत आयातित इस्पात का उपयोग कर निर्यात संविदाओं को पूरे किए जाने के कारण हकदारी को वापस लेने के संबंध में हकदारी की परिगणना उस रूप में की जाएगी मानो उपयोग किया गया पूरा इस्पात देशी उदगम है । इस योजना के अन्तर्गत आयातित इस्पात पर निश्चित किए गए अधिभार को हकदारी को वापस लेने का निश्चय के लिए हिसाब में नहीं रखा जाएगा ।

अनुषङ्ग

1. नर्म इस्पात बिलेट
2. नर्म इस्पात तार राड
3. हाई कार्बन तार राड
4. छड़ें और राडें
5. हार्ट रोलड स्ट्रिप/स्केल्प
6. नर्म इस्पात एंगल्स
7. अन्य इमारती सामान जैसे बीम, चीनल आदि
8. नर्म इस्पात फ्लेट्स
9. हार्ट रोलड/कोल्ड रोलड शीट्स ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात ।